SCAN

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या : 799 /आठ–1–24–1856122

प्रेषक,

अरूण कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. अध्यक्ष / जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

4. प्रबन्ध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन
निगम लि0, नई दिल्ली।

5. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 07 अक्टूबर 2024

विषयः व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.09.2024 में दिये गये निर्देशों पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, उ0प्र0, लखनऊ के अ0शा0प0संख्या–248 / 01 / प्रा0र0मू0प्र0 / 2024, दिनांक 20.09.2024 (छायाप्रति मयसंलग्नक) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.09.2024 के कार्यवृत्त में उल्लिखित निम्नलिखित निर्देशों के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया हैं :–

- थर्डपार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल एवं इन्सपेक्शन हेतु यद्यपि लागत प्रायोजना लागत के साथ ही अनुमोदित की जाये, परन्तु थर्डपार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु चयन प्रशासकीय विभाग द्वारा कराया जायेगा तथा चयनित संस्था का भुगतान प्रशासकीय विभाग द्वारा ही करायां जायेगा।
- लागत रू0 50.00 करोड़ तक के प्रस्तावों में क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु निर्माण लागत पर 0.50 प्रतिशत की दर से धनराशि देय होगी।
- रू0 50.00 करोड़ से अधिक लागत के प्रस्तावों पर रू0 50.00 करोड़ तक 0.5 प्रतिशत की दर से एवं उससे अधिक जो भी धनराशि होगी उस पर 0.30 प्रतिशत की दर से धनराशि देय होगी।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दुओं पर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
Signed by
Arun Kumar
(अरूण कुमार)
Date: 04-10-2024 19:00:21
अनु सचिव।

799/आ6-1-24

महत्वपूर्ण

दूरभाष: 2237604 (का0) / मो0 9454786113
अ0शा0प0सं0– 248 /01/ प्रा0र0मू0प्र0/2024

बृजेश यादव,
निदेशक,

व्यय वित्त समिति सचिवालय
(प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग)
राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश
628, योजना भवन, लखनऊ।

दिनॉक : 20 सितम्बर, 2024

आदरणीय महोदय / महोदया,

कृपया व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.09.2024 में अन्य बिन्दु के रूप में कतिपय निर्णय लिए गये हैं।

बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सादर,

भवदीय,

20.09.2024
(बृजेश यादव)

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त कार्यदायी संस्थाएं, उ0प्र0 लखनऊ।

103859/A.C.S./24

सचिव

27/9/24

(डॉ0 नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

3564/SM/24

VS(R)

27.9 (संजय सिंह)
निजी सचिव, श्रेणी-दो
सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

1065/VS(R)/H/24
J.S.(M)

(... कुमार राय)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन
27.9

SO
US

US/S-1
27/9/24

मंजीत
27/9/24

[illegible]

व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11-09-2024 का कार्यवृत्त

अन्य बिन्दु

समिति द्वारा संज्ञान में लिया गया कि भवन निर्माण से सम्बन्धित कतिपय प्रायोजना प्रस्तावों/आगणनों में निर्माण की गुणवत्ता हेतु थर्डपार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल कराये जाने का प्राविधान किया जाता है। प्रदेश की विभिन्न राजकीय कार्यदायी संस्थाओं द्वारा थर्डपार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु निर्माण कार्यों की लागत पर 1 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान किया जाता है, परन्तु इस हेतु कोई नीति निर्धारित न होने के कारण निर्माण लागत के साथ लागत अनुमन्य नहीं की जाती है। समिति द्वारा प्रदेश में किये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु उनका थर्डपार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल उच्च शिक्षण संस्थान यथा-आई0आई0टी0, एन0आई0टी0 व अन्य प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थाओं से अथवा टेण्डर के माध्यम से सक्षम संस्थाओं से कराये जाने का निर्देश दिये गये।

समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि थर्डपार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु बिड के माध्यम से प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रतिष्ठित एवं अनुभवी संस्थान का चयन किया जाय। चयनित संस्था द्वारा प्रायोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के समय से ही निर्माणाधीन प्रायोजना की विभिन्न मुख्य स्टेजेज उदाहरणस्वरूप फाउण्डेशन, कुर्सी तल, लिंटल स्तर एवं छत पड़ने इत्यादि पर आवश्यक भौतिक स्थलीय निरीक्षण कार्य किया जायेगा। चयनित संस्था द्वारा न्यूनतम 5 बार स्थलीय निरीक्षण कार्य किया जायेगा तथा प्रत्येक निरीक्षण कार्य करने के उपरान्त प्रशासकीय विभाग एवं कार्यदायी संस्था को स्थलीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। उक्त रिपोर्ट से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही प्रशासकीय विभाग द्वारा क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु चयनित संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

इस सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति द्वारा निम्नलिखित निर्देश भी दिये गयेः-

- थर्डपार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल एवं इन्सपेक्शन हेतु यद्यपि लागत प्रायोजना लागत के साथ ही अनुमोदित की जाये, परन्तु थर्डपार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु चयन प्रशासकीय विभाग द्वारा कराया जायेगा तथा चयनित संस्था का भुगतान प्रशासकीय विभाग द्वारा ही कराया जायेगा।

- लागत रू0 50.00 करोड़ तक के प्रस्तावों में क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु निर्माण लागत पर 0.50 प्रतिशत की दर से धनराशि देय होगी।

कोड 14 / 11-09-2024 / (24-25)

- रू0 50.00 करोड़ से अधिक लागत के प्रस्तावों पर रू0 50.00 करोड़ तक 0.5 प्रतिशत की दर से एवं उससे अधिक जो भी धनराशि होगी उस पर 0.30 प्रतिशत की दर से धनराशि देय होगी।

(कार्यवाहीः समस्त प्रशासकीय विभाग / समस्त कार्यदायी संस्थायें)

12/09/2024
(वृजेश यादव)
निदेशक, पी0एफ0ए0डी0
सदस्य-संयोजक

(सी0पी0 गुप्त)
मुख्य अभियंता (भवन),
लो0नि0वि0-सदस्य

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त
अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या : 797 /आठ–1–24–1856041

प्रेषक,

अरूण कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी,
वाराणसी/गोरखपुर, उ0प्र0।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
4. सचिव,
उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ।
5. सचिव,
सी0एस0आई0 टावर्स वेलफेयर कमेटी, विपिनखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. सचिव,
सी0एस0आई0एजूकेशनल सोसायटी (संस्कृति विद्यालय), लखनऊ
7. रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 भू–सम्पदा अपीलीय अभिकरण, लखनऊ
8. प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लि0, नई दिल्ली।
10. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 07 अक्टूबर, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–2026 के विभागीय बजट अनुमानों को तैयार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ लेखाधिकारी/बजट, कार्यालय महालेखाकार (लेखा0 एवं हक0)–प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्रांक–बजट/आय–व्ययक अनु02025–26/48749, दिनांक 12.09.2024 (छायाप्रति मयसंलग्नक) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक अनुमानों की एक प्रति निर्धारित तिथि 31.10.2024 से पूर्व उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु आय–व्ययक अनुमान पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव साफ्ट कॉपी में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 की ई–मेल आई0डी0 sohousingone@gmail.com पर दिनांक 15.10.2024 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराते हुए उसकी हार्ड कॉपी भी (02 प्रतियों में) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
Signed by
(Arun Kumar)
(अरूण कुमार)
Date: 07-10-2024 18:59:25
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी, आवास अनुभाग–2/3/4 एवं 6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार)
अनु सचिव।

791/आठ-1-24

कार्यालय महालेखाकार (लेखा० एवं हक०)-प्रथम,उत्तर प्रदेश,प्रयागराज

पत्रांक-बजट/आय-व्ययक अनु०2025-26/48749 दिनांक- 12.09.2024

सेवा में,

प्रमुख सचिव ,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,उ.प्र.शासन,
शास्त्री भवन ,कक्ष सं.-101
लखनऊ(उ.प्र.)226001

23-9-2024
(विनोद शर्मा)
निजी सचिव
अपर मुख्य सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक अनुमान उपलब्ध करवानें के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन के बजट मैनुअल के अध्याय-1,प्रस्तर-8 के अनुसार सभी विभागाध्यक्षों/नियंत्रक अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष के आय व्ययक अनुमानों की दो प्रतियाँ तैयार कर एक प्रति वित्त विभाग,उ०प्र०शासन,लखनऊ तथा दूसरी प्रति महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रायः यह देखा गया है कि आय व्ययक अनुमान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं किये जाते है।आय व्ययक अनुमान विलम्ब से प्राप्त होने के कारण निर्धारित समय के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही निष्पादित नहीं हो पाती है तथा शासन को इसे प्रेषित करने में विलम्ब होता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक अनुमानों की एक प्रति निर्धारित तिथि 31.10.2024 से पूर्व इस कार्यालय के बजट अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

12-9-24
वरिष्ठ लेखाधिकारी/बजट

प्रेषित
23/9/24